(b) Recruitment to various ministerial and officers' posts in the Employees' State Insurance Corporation is made in accordance with the Employees State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965 published in the Gazette of India dated 3.4.1965. Since the publication of the Recruitment Regulations in the Gazette, some new posts have been sanctioned and the Recruitment Regulations for these posts are under preparation.

As regards rules for purchases, contracts; and sales, the Corporation is following the Government of India rules and proccdures.

(c) Does not arise.

भाण्डागारों का निर्माण

*887. **श्री बलराज मधोक :**

श्री मोलहू प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** 19 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5099 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25,000 मीटरी टन की क्षमता वाले भाण्डागारों में से, जिनका निर्माण हो चुका है और 9·65 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले भाण्डागारों में से, जिनका निर्माण करने का प्रस्ताव है कितने भाण्डागार उत्पादक क्षेत्र में तथा कितने अनाज उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर भारत के किसानों को अपनी उपज को मंडियों में लाने में बहुत कठिनाई होती है और मंडियों में व्यापारियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नगरों की बजाये गांवों में गोदाम बनाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कुल मिला कर 145 केन्द्रों पर निमाण कार्य की स्वीकृति दी गई है। शुरू किया गया है। इनमें से 6·93 लाख मोटरी टन क्षमता के लगभग 105 केन्द्र उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में स्थित हैं और शेष अन्य क्षेत्रों, शहरों में है जहां खपत बहुत अधिक है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम का यह अनुभव है कि किसान आमतौर पर अच्छे दाम कमाने की आशा में निकटतम मंडी में अपनी पैदावार ले जाने में तरजीह देते हैं। पिछले वर्ष विशेषतया उत्तर प्रदेश से शिकायतें मिली थीं कि व्यापारी किसानों किसानों का शोषण कर रहे थे। तथापि, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार तथा सहकारी संघ जैसी अन्य अधिप्राप्ति ऐजेन्सियों ने अपने खरीद कार्य तेज कर दिए हैं ताकि उत्पादकों को अच्छे दाम दिए जा सकें और व्यापारियों द्वारा उनके शोषण की कोई गुंजाइश न रहे। भारतीय खाद्य निगम ने कुछेक केन्द्रों पर काश्तकारों से सीधे अनाज की खरीदारी करने के भी प्रबन्ध किए हैं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (ख) के उत्तर की दृष्टि में सरकार के लिए गांवों में गोदाम बनवाना आवश्यक नहीं है। अधिप्राप्ति अनाजों को इकट्ठा करने और उनका भण्डारण करने तथा बफर स्टाक का भण्डार करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदाम 5000 मीटरी टन भण्डारण स्थान तक के बड़े यूनिट होते हैं। अतः अपेक्षाकृत छोटे यूनिट अलाभकर होंगे। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में और

मंडी स्तर पर किसानों को अनाज का भण्डारण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों को गोंदाम बनवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

मेहतरों तथा सफाई कर्मचारियों के लिए श्रमिक अधिकार

*888 **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री राम चरण :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहतरों और सफाई कर्मचारियों को फैक्टरी मजदूरों की भांति अधिकार देने के किन्हीं प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य सरकारों को यह सलाह देने पर विचार कर रही है कि वे नगरपालिकाओं की गन्दगी और कूड़े की बिक्री से होने वाली आय में से इन कर्मचारियों को बोनस दें; और

(ग) क्या सरकार का राज्य सरकारों को यह सलाह देने का विचार है कि वे इनकी रहन-सहन की हालत में सुधार करने हेतु, उनके लिए क्वार्टर बनाने के लिए नगर पालिकाओं को पर्याप्त अनुदान दें ?

श्रम और रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्ध नगरपालिकाओं द्वारा नियोजित मेहतरों और सफाई कर्मचारियों पर लागू नहीं होते ।

(ख) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्ध स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे ।

(ग) पिछले वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित केन्द्रीय कार्य क्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को मेहतरों तथा सफाई कर्मचारियों की कार्य करने और रहन सहन की दशाओं में सुधार करने के लिए सहायक अनुदान दिये जाते हैं। यह योजना अन्य बातों के साथ, मेहतरों तथा सफाई कर्मचारियों, चर्मकारों व चमड़ा उतारने वालों को महान बनाने के लिए उपदान देती है और अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों के लिए मकानों की जगहों की व्यवस्था करते हैं जो (क) अस्वच्छ कार्य में लगे हों और (ख) जो भूमिहीन श्रमिक हैं । जहाँ तक शहरी क्षेत्रों के उन मेहतरों तथा सफाई कर्मचारियों के मकानों का सम्बन्ध है, जो गन्दी बस्ती हटाओ योजना के अन्तर्गत नहीं आते, सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा उन्हें 75 प्रतिशत का उपदान दिया जाता है ।

Postal Rates for Newspapers

*890. SHRI S.C. SAMANTA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the small newspapers publishers are satisfied with the change in postal rates for newspapers which Government have acceptcd ; and

(b) if not, what are their demands and the difficulties in accepting them ?